न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 67/2019
GCMS Case No. 2019/00215

सायल :–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः–
रूघनाथराम पुत्र श्री सवाराम जाति मीणा निवासी नयागांव पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 7.5.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 15.11.2019 को गैरसायल रूघनाथराम पुत्र श्री सवाराम जाति मीणा निवासी नयागांव पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2015 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नाम न्यायालय निर्णय	न्यायालय का नाम
1	312/15	धारा 19/54 भादस	09.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रूपये जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
2	72/17	धारा 19/54 भादस	09.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रूपये जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
3	132/18	धारा 19/54 भादस	09.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रूपये जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
4	220/06.11.12	धारा 19/54 आबकारी अधि.	11.12.2012 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ के तहत जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
5.	264/09.11.14	धारा 19/54 आबकारी अधि.	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
6.	124/18.05.15	धारा 19/54 आबकारी अधि.	06.06.2017 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

7.	101/26.04.16	धारा 19/54 आबकारी अधि.	28.11.2016 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रूपये जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.
8.	146/26.05.17	धारा 19/54 आबकारी अधि.	10.11.2017 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना	जेएम कोर्ट मा.ज.

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल रूघनाथराम पुत्र श्री सवाराम जाति मीणा निवासी नयागांव पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली आदतन व आलेदर्जे का अवैध शराब का धंधा करता है। जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध शराब का धन्धा करने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैर सायल की और से अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अभियोजन अधिकारी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली का अव्वल दर्जे का शराब तस्कर है, जिससे विरूद्ध पुलिस थाना मारवाड जंक्शन में 08 प्रकरण दर्ज है तथा गैरसायल को न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय जेएम कोर्ट मारवाड़ जंक्शन ने मुकदमा नम्बर 312/15, 72/17 व 132/18 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2019 के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 भादस में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत दोषसिद्ध घोषित कर 300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय जेएम कोर्ट मारवाड़ जंक्शन ने मुकदमा नम्बर 220/06.11.12 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2012 के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 आबाकारी अधि. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ के तहत जुर्माना, मुकदमा नम्बर 264/09.11.14 में पारित आदेश के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 आबकारी अधि. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना, मुकदमा नम्बर 124/18.05.15 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 आबकारी अधि. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना, मुकदमा नम्बर 101/26.04.16 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 आबकारी अधि. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व 300 के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा मुकदमा नम्बर 146/26.05.17 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 के द्वारा गैरसायल को धारा 19/54 आबकारी अधि. में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ जुर्माना से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल रूघनाथराम पुत्र श्री सवाराम जाति मीणा निवासी नयागांव पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सोजत जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 22/5/24 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना सोजत जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी सोजत जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल रूघनाथराम पुत्र श्री सवाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली गैरसायल रूघनाथराम पुत्र सवाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सोजत जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सोजत जिला पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली एवं थानाधिकारी सोजत जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 7/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * पाली (राजस्थान) *

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली